

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/एम-2/स्था./1/2010/406

भ.पाल,दिनांक

3-4-10


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती तनवीर सुल्तान (रसायन)	AB 1691	शास.उ.मा.वि. गांधीनगर भोपाल	23320877732	शास.क.उ.मा.वि. बरखेडी भोपाल	23320977711

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 3-4-10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/एम-2/स्था./1/2010/407
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय भोपाल।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल।
7. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/पदा.संशोधन/32/2009/ 408


भोपाल, दिनांक 3/4/10

/आदेश/

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.2/अ/पदो./05/884-885, दिनांक 01.08.09 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर विषयमान से रिक्त पद पर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई है। पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में नस्ती क्रमांक 173 दिनांक 30.03.2010 पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित नव पदोन्नत लोक सेवक को कालम क्रमांक-5 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापना तत्काल प्रभाव से की जाती है:-

स. क्र.	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	यूनिक कोड	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना	डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुधा सिन्हा शिक्षक, शा.म.ल.ब. क.उ.मा.वि. सागर	AX 8533	इतिहास	शा.उ.मा.वि.बांदरी जिला-सागर	शा.म.ल.ब.क. क-01 उ.मा.वि. जिला-सागर	23111077702
2	श्रीमती सविता जैन, व्याख्याता, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बडामलहरा छतरपुर	AG2170	अर्थशास्त्र	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि. बडामलहरा जिला- छतरपुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि. क.1 जिला- छतरपुर	23090577701
3	श्री बी.पी.शुक्ल प्र. अ. शा.पूर्व मा.वि. बासांदेवीन रीवा	AW4529	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. सिजहटा जिला-सतना	शा.उ.मा.वि.सुदर्शन कुमारी जिला-रीवा	23140177708
4	श्री हर्ष लाल शुक्ला प्र.अ.शा.पूर्व मा.वि.मार्तण्ड क. -01 रीवा	AW6175	अर्थशास्त्र	शा.उ.मा.वि.उत्कृ. विजयराधवगढ़ जिला-कटनी	शा.बा.उ.मा.वि. मनगंवा जिला-रीवा	23140877701
5	श्रीमती शशिकला चौहान, प्र.अ. शा.मा. शा.आमगांवबडा नरसिंहपुर	AS1755	अर्थशास्त्र	शा.क.उ.मा.वि. तेन्दूखेडा जिला- नरसिंहपुर	शा.क.उ.मा.वि. आमगांवबडा जिला- नरसिंहपुर	23400477702

- 1/ मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- 2/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 08.04.2010 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।


आयुक्त


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

//2//

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/अ/पदां.सशोधन/32/2009/ 409
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/4/10

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर, रीवा एवं जबलपुर।
4. कलेक्टर जिला सागर, रीवा, कटनी, सतना, छतरपुर नरसिंहपुर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी सागर, रीवा, कटनी, सतना छतरपुर, नरसिंहपुर म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर, रीवा, कटनी, सतना छतरपुर नरसिंहपुर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि संबंधित लोकसेवक शिक्षक संवर्ग में सेवारत रहे हैं एवं उनकी पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याता के पद पर संचालनालय के आदेश दिनांक 01.08.09 द्वारा हुई हैं। वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लोक सेवक है तथा पदांकित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित लोकसेवक के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित प्राचार्य, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित- की ओर सूचनार्थ।


आर. के. त.
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.2/अ/पदो./05/884-885, दिनांक 01.08.09 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर विषयमान से रिक्त पद पर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई है। पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में नस्ती क्रमांक 173 दिनांक 30.03.2010 पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित नव पदोन्नत लोक सेवक को कालम क्रमांक-6 अनुसार प्रोफार्मा पदोन्नति (प्रतिनियुक्ति) प्रदान की जाती है:-

स. क्र.	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	यूनिक कोड	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना	डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री नगेन्द्र पाल बी.आर.सी.जनपद शिक्षा केन्द्र घाटीगांव जिला-ग्वालियर	AL1359	इतिहास	शा.उ.मा.वि. पडदा जिला-नीमच	बी.आर.सी.जनपद शिक्षा केन्द्र घाटीगांव जिला-ग्वालियर प्रोफार्मा पदोन्नति (प्रतिनियुक्ति)	1419903001

- 1/ मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- 2/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 08.04.2010 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।



आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31/4/10

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/अ/पदां.संशोधन/32/2009/411
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय ग्वालियर एवं उज्जैन म.प्र.।
4. कलेक्टर जिला ग्वालियर, एवं नीमच म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर, एवं नीमच म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर, एवं नीमच म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि संबंधित लोकसेवक शिक्षक संवर्ग में सेवारत रहे हैं एवं उनकी पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याता के पद पर संचालनालय के आदेश दिनांक 01.08.09 द्वारा हुई है। वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लोक सेवक है तथा पदांकित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित लोकसेवक के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन प्रतिबंधन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित प्राचार्य, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित- की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./02/10/412

भोपाल,दिनांक 3/4/10


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता(अर्थशास्त्र)	BK 4156	शास.उ.मा.वि.मूलथान जिला धार	23259977701	शास.उ.मा.वि. कानवन जिला धार	23250177708
2.	श्री प्रमोद खारे (रसायन)	BA 4068	शास.बा.उ.मा.वि. अकोदिया जिला शाजापुर	23220777705	शास.क.उ.मा.वि. शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर	23220777702
3.	श्रीमती गायत्री सिकरवार (अंग्रेजी)	BG 1725	शास.उ.मा.वि.मिहोना जिला भिण्ड	23030277702	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. क्र-1 भिण्ड जिला भिण्ड	23030477701

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 3/4/10

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./02/10/413

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला धार/शाजापुर/भिण्ड।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला धार/शाजापुर/भिण्ड।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल/जबलपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला धार/शाजापुर/भिण्ड।
7. जिला शिक्षा अधिकारी धार/शाजापुर/भिण्ड। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दि.स में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.